

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।
पत्रांक:- 787 / 1-12 दिनांक, लैन्सडौन, 3/12/2024

सेवा में,

वन संरक्षक
शिवालिक वृत्त
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विशय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में मस्टखाल सीलाडांडा मोटर मार्ग (5.450 कि०मी०) के निर्माण हेतु 2.275 है० (वनभूमि Online Proposal No. (FP/UK/ROAD/11139/2015) का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रकरण में लगी आपत्ति के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/०६/१५/२०१९/एफ०सी० दिनांक 15.07.2024।

महोदय,
उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 01 क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-3 अधिसूचना संख्या 1497/X-3-21/1(215)/2018 देहरादून दिनांक 29.10.2021 को संलग्न कर आपको आवश्यक कार्यवाही प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीया

(स्पर्श कासा)
प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण, लैन्सडौन वन प्रभाग

पत्रांक:- 787 / 1-12 दिनांकित।

प्रतिलिपि:-1. अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फोरेस्ट कालोनी को सूचनार्थ प्रेषित।

(स्पर्श कासा)
प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण, लैन्सडौन वन प्रभाग

संख्या: 1946/X-3-24/01(215)/2018

ई0पत्रावली सं0-10980

प्रेषक,

हेमा पाण्डे,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

वन अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 25 नवम्बर, 2024

विषय: जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री गाम सड़क योजना के अन्तर्गत मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग (57.00 किमी0) के नव निर्माण हेतु 2.275 है0 वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 4.55 है0 सिविल भूमि को संरक्षित घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1086, दिनांक-22.10.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री गाम सड़क योजना के अन्तर्गत मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग (57.00 किमी0) के नव निर्माण हेतु 2.275 है0 वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 4.55 है0 सिविल भूमि को संरक्षित घोषित किये जाने हेतु अधिसूचना का अंग्रेजी एवं हिन्दी आलेख्य उपलब्ध कराया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री गाम सड़क योजना के अन्तर्गत मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु सिविल भूमि को पूर्व में ही शासन की अधिसूचना संख्या-1497, दिनांक-29 अक्टूबर, 2024 के माध्यम से भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। सुलभ सन्दर्भ हेतु निर्गत अधिसूचना की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-यथोक्त:

Signed by

Hema Pandey

Date: 25-11-2024 17:17

भवदीया,

(हेमा पाण्डे)

अनु सचिव।

D/mah
28/11

कार्यालय वन संरक्षक शिवालिक वृत्त
पत्रावली सं0...121.....
रजिस्टर सं0...6051.....
दिनांक...28-11-2024.....

उत्तराखण्ड शासन
वन अनुभाग-3
संख्या- 1497/X-3-21/1(215)/2018
देहरादून: दिनांक: 24 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम 1927 (अधिनियम संख्या-16, वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ सिंचाई खण्ड द्वारा लैन्सडौन के अन्तर्गत मस्टखाल से सीलाडांडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु हस्तान्तरित 2.275 है० आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरण हेतु जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी-9(3)ड० (अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि) के 4.550 है० क्षेत्रफल, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ-साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:-

तालिका

क्र० स०	जिला	ग्राम	पट्टी	खाता संख्या/ खसरा नम्बर	चयनित क्षेत्रफल (है०)	भूमि का किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	पौड़ी गढ़वाल	सीला	—	934	4.550	उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी-9(3)(ड०)

उपरोक्त तालिका में उल्लिखित क्षेत्र भू-अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार के अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

(विजय कुमार यादव)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या:- 1497/X-3-21/1(215)/2018.तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. जिलाधिकारी, जनपद-पौड़ी गढ़वाल।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन/लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार।
6. उप जिलाधिकारी, लैन्सडौन।
7. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड(ब), भाग-4 में प्रकाशनार्थ।
8. एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर।
9. गार्ड फाईल।

(विजय कुमार यादव)
सचिव (प्रभारी)।

**Signed by Vijay Kumar
Yadav**

Date: 28-10-2021 14:02:21

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification...../..... Dehradun, dated..... for general information.

Government of Uttarakhand

Forest Section-03

File No. 1497 /X-3-21/1(215)2012

Dehradun : Date :- 29 October, 2021

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 29 of Indian Forest Act 1927, (Act-16 of 1927) for the purpose of Chapter-4 of the said Act, the Governor is pleased to declare the government owned category 9(3)d land (for other agricultural use barren land) total 4.550 hectare as forest land as well as protected area which was transferred by District Collector of Pauri Garhwal to the forest department for compensatory plantation against the 2.225 hectare Reserve Forest land transferred for the Construction of road from Mastkhal to seela danda Motor Road under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna in District Pauri Garhwal, whose area and boundary details are given in the table below.

Table

Sr. no	District	Village	Patti	Khata Number/ Khasara Number	Total area acquired (in Hectares)	Category of Land
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pauri Garhwal	seela	-	934	4.550	Uttarakhand Government Category-9(3) (d)

The area mentioned in the table above is free from the claim of any rights and concessions, to be transferred in the name of the Forest Department in the land records.

(Vijay Kumar Yadav)
Secretary (Incharge)

Copy- Sent to the following for information and action.

1. Principal Chief-Conservator of Forests (HOFF), Uttarakhand, Dehradun.
2. Principal Chief Conservator of Forests Wildlife, Uttarakhand, Dehradun.
3. Additional Chief Conservator of Forests, and Nodal Officer, Uttarakhand, Dehradun.
4. Commissioner, Garhwal Mandal, Uttarakhand, Pauri.
5. District Magistrate, Pauri Garhwal.
6. Divisional Forest Officer, Soil Conservation Division, Lansdown.
7. Sub- Divisional Magistrate, Lansdown.
8. Director, Government Currency Roorkee to be published in the Legislative Council section-(B) part-4 of the general Gazette..
9. NIC, Secretariat campus.
10. Guard File.

(Vijay Kumar Yadav)
Secretary (Incharge)

**Signed by Vijay Kumar
Yadav**

Date: 28-10-2021 14:01:56